न्यायिक मजिस्ट्रेट से फिरौती मांगने वाला आरोपी यूपी से गिरफ्तार

पत्र लिखकर दी थी धमकी, मांगी थी 5 अरब की फिरौती, विरोधी को फंसाने आरोपी ने रची साजिश

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 सितम्बर, रीवा जिले के त्योंथर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को धमकी भरा पत्र लिखकर 5 अरब की फिरौती मांगने वाला आरोपी यूपी प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है. धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस महकमे में हडकम्प मच गया.

सोहागी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पोस्ट आफिस के माध्यम से धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें 5 अरब रूपये की फिरौती मांगी गई थी और पत्र लिखने वाले ने खुद को दस्यु सरगना हनुमान के गिरोह का साथी बताया था. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चौकाने वाला मामला सामने आया. पत्र में संदीप सिंह के नाम का उल्लेख था जब पुलिस विवेचना के दौरान संदीप सिंह पिता छत्रपाल सिंह निवासी सुन्दरपुर लोहगरा थाना बारा जिला प्रयागराज यूपी पहुंची और संदीप को पकड़ कर कड़ाई से पूंछताछ की और उसकी हस्तलिपी ली, जिसका मिलान पत्र से कराया गया. साथ ही गांव वालो से भी राइटिंग की पहचान कराई गई. पूंछताछ के दौरान संदीप ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उसका विवाद गांव के ही देवराज सिंह से हुआ था और उसी ने उसे फसाने के लिये ऐसा पत्र लिखा होगा. जिसके बाद पुलिस देवराज के तलाश में जुट गई.

प्रयागराज से की थी रजिस्ट्री

संदीप सिंह से विवाद होने के बाद आरोपी देवराज सिंह ने उसे फसाने के लिये एक गंभीर साजिश रची. धमकी भरा पत्र प्रयागराज के डाकघर से रजिस्ट्री की. पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि पत्र को आरएमएस डाकघर प्रयागराज से रजिस्ट्री किया गया है. जहा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 28 अगस्त को देवराज पत्र रजिस्ट्री करते हुए देखा गया. आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूंछताछ की गई तो उसने बताया कि संदीप द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी. जिसके रिपोर्ट बारा थाना में की गई थी, लेकिन वह कार्यवाही से संतुष्ट नही था. जिस कारण बदला लेने के लिये साजिश रची और फिरौती मांगने का पत्र न्यायाधीश को पोस्ट किया. आरोपी देवराज सिंह पिता स्व0 रामदीन सिंह पटेल उम्र 74 वर्ष निवासी राजकोटी शंकरगढ़ यूपी प्रयागराज को गिरफ्तार कर सोहागी लाया गया.

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर नो फ्लाइंग जोन घोषित

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 4 सितम्बर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 7 सितम्बर को मऊगंज जिले के बहुती एवं देवतालाब में आगमन प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम स्थल बहुती जलप्रपात का भ्रमण, कॉलेज स्टेडियम परिसर, देवतालाब में शासकीय कार्यों का लोकार्पण, नवीन कार्यों का भूमिपूजन एवं आम जनसभा को संबोधित किया जाना है. जिसमे सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन ने बिना पूर्व आधिकारिक मंजूरी के किसी भी ड्रोन, गुब्बारे, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या अन्य उपकरणों को कार्यक्रम स्थल के आसपास उड़ाने पर प्रतिबन्ध लगाया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मऊगंज, द्वारा लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से 7 सितंबर को सुबह 6 बजे से 24 घन्टे की अवधि तक के लिए जिला मऊगंज के अनुभाग मऊगंज अंतर्गत बहुती जलप्रपात कार्यक्रम स्थल के हेलीपैड, शिव मंदिर देवतालाब तथा कॉलेज स्टेडियम देवतालाब कार्यक्रम स्थल के हेलीपैड, शिवमंदिर मार्ग के दोनों ओर तरफ, 3 किमी की परिधि में ड्रोन, गुब्बारे, पैराग्लाइडर, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या अन्य उपकरण या डिवाइसेस जो उड़ने/उड़ाने वाली प्रकृति में सम्मिलित हैं, को प्रतिबंधित किया गया है. कॉमर्सियल फ्लाइट्स इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी. कार्यक्रम के दौरान उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

दूसरे दिन मिला तालाब में डूबे युवक का शव

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 सितम्बर। बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते बुधवार को मनिहारी स्थित तालाब में डूबे युवक गणेश नामदेव का शव आज दिन गुरुवार की सुबह एसडीईआरएफ की टीम द्वारा बरामद कर लिया गया।

गौरतलब है कि बीते बुधवार की दोपहर तालाब में बाइक धोने व नहाने गया गणेश हादसे का शिकार हो गया था। घटना के बाद से ही बरगवां पुलिस समेत एसडीईआरएफ की टीम युवक की तलाश की जाती रही, परंतु अंधेरा होने की वजह से शाम को सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। जहां आज दिन गुरुवार की सुबह होते ही दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और दोपहर तक युवक का शव तालाब से बरामद कर लिया गया। घटनास्थल पर शव मिलते ही भारी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है।

कियोस्क संचालक ने ग्रामीणों के खातों से लाखों की धोखाधड़ी की

कुसमी पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपियों की अर्जित की गई संपत्ति की होगी कुर्की

नवभारत न्यूज

सीधी, 4 सितम्बर. कियोस्क संचालक के ग्रामीणों के खातों से लाखों की धोखाधड़ी पर कुसमी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।आरोपियों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की जावेगी।

पुलिस अधीक्षक डॉ. रवींद्र वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी कुसमी निरीक्षक अरुणा द्विवेदी के नेतृत्व में कुसमी पुलिस ने कियोस्क संचालक द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीणों के साथ की गई लाखों रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। प्रकरण-1 में लालमन बैगा की शिकायत आवेदक लालमन बैगा पिता मनबोध बैगा उम्र 27 वर्ष, निवासी नौढिया गाजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना की राशि उसके खाते फिनो पेमेंट बैंक, खाता में जमा हुई थी।ग्राम जूरी के कियोस्क संचालक दयाराम कुशवाहा ने आधार कार्ड व अंगूठा लगवाकर खाते की राशि चेक करने का बहाना बनाया और दिनांक 14 जुलाई 25 को 75,000 तथा 05 अगस्त 25 को 50,000, कुल 1 लाख 25 हजार निकाल लिये। प्रकरण-2 में सुखलाल बैगा व अन्य ग्रामीणों की शिकायत दर्ज हुई।दिनांक 03 सितंबर 25 को फरियादी सुखलाल बैगा पिता सुरजन बैगा उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम जूरी अपने हमराह दादूलाल बैगा, रमाबाई सिंह गोड, इंद्रवती बैगा, श्रीमती गोड, बंसरूप बैगा एवं मन्ती बैगा के साथ थाना कुसमी पहुंचे और लिखित शिकायत दी।सुखलाल बैगा की पत्नी की मृत्यु पर शासन से प्राप्त 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि उसके खाते फिनो बैंक, खाता में आई थी। आरोपी दयाराम कुशवाहा ने खाते की जांच के नाम पर कई बार अंगूठा लगवाकर 1 लाख 92,500 निकाल लिये।

इसी तरह दयाराम ने अन्य ग्रामीणों के खातों से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शासन से प्राप्त राशि मिलाकर करीब 6 लाख 94 हजार धोखाधड़ी से हड़प लिये।सभी पीड़ित अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं और आरोपी ने उनकी अशिक्षा व विश्वास का दुरुपयोग कर ठगी की। पुलिस ने आरोपी दयाराम कुशवाहा के विरुद्ध धारा 318(4), 316(5) बीएनएस एवं धारा 3(2)(व्ही),एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है।मामले की गहन विवेचना प्रचलित है तथा आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।

आवश्यकता है

सनफ्लैग वरठी भंडारा/नागपुर मे सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है उचाई 5'.7", 8 घंटे डयूटी - 26 दिन, 4 छुट्टी, (डाक्यूमेट के साथ मिले) साथ ही रहने की व्यवस्था.

संपर्क :- 8855828901 (Soni Sir) 9766188388 15Sep/25

नवरात्रि पर सिंगरौली से मैहर स्पेशल ट्रेन की उठी मांग

सिंगरौली 4 सितम्बर। बीते दिनों आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की अधिसूचना जारी की थी। जिसमें श्रद्धालुओं को पूजा स्थलों से जोड़कर यात्रा सुगम बनाने की योजना पर रेलवे बोर्ड जुटा हुआ है। हालांकि इस सूची में सिंगरौली जिले से मैहर के लिए कोई भी सीधी ट्रेन न होने से यहां भक्तों को अन्य मार्गों से होकर जाना पड़ रहा है, इससे स्थानीय लोगों को निराशा हाथ लगी है। इसे लेकर मोरवा के व्यापारी दीना बंसल ने डीआरएम जबलपुर को ट्वीट कर इस ओर ध्यान आकर्षित करने को कहा है। गौरतलब है कि मैहर में विराजी शारदा माता के दर्शन के देश भर से प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं, वहीं नवरात्रि में यह आंकड़ा बढ़कर लाखों में पहुंच जाता है। सिंगरौली जिले से माता के दर्शन के लिए फिलहाल लोग सड़क मार्ग का ही ज्यादा उपयोग करते हैं। यदि नवरात्रि के समय सिंगरौली से मैहर तक सीधी पूजा स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है तो इससे स्थानीय श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी।

दूरसंचार लाइन मार्ग में खुदाई कार्य प्रतिबंधित

मऊगंज, 4 सितम्बर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 7 सितंबर को मऊगंज जिले के प्रवास के मद्देनजर दूरसंचार लाइन के मार्ग में खुदाई कार्य प्रतिबंधित किया गया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन ने दूर संचार व्यवस्थाओं के सुचारू एवं निरंतरता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीवा-प्रयागराज मार्ग में, रीवा से चाकघाट, रीवा से मऊगंज/हनुमना एवं रीवा से सीधी मार्ग के मध्य 6 एवं 7 सितंबर को समस्त निर्माण एजेंसी को सड़क के किनारे खुदाई न करने का आदेश जारी किया है.

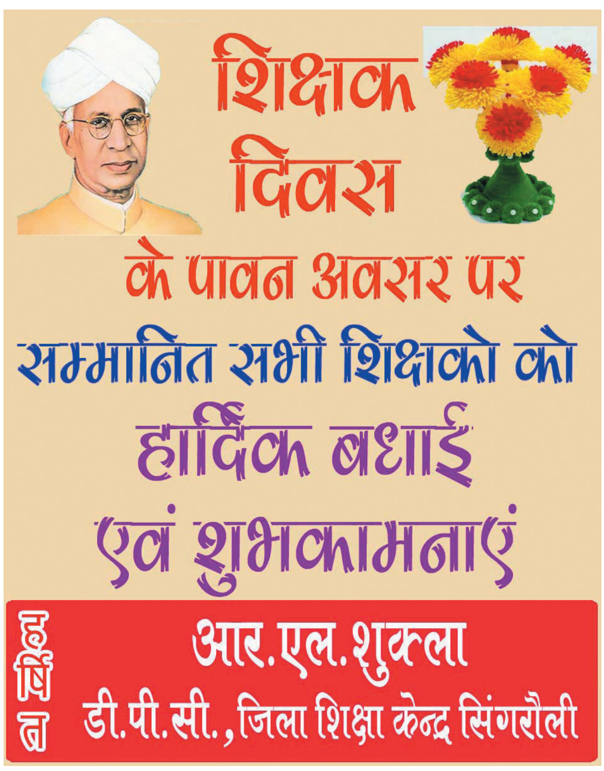

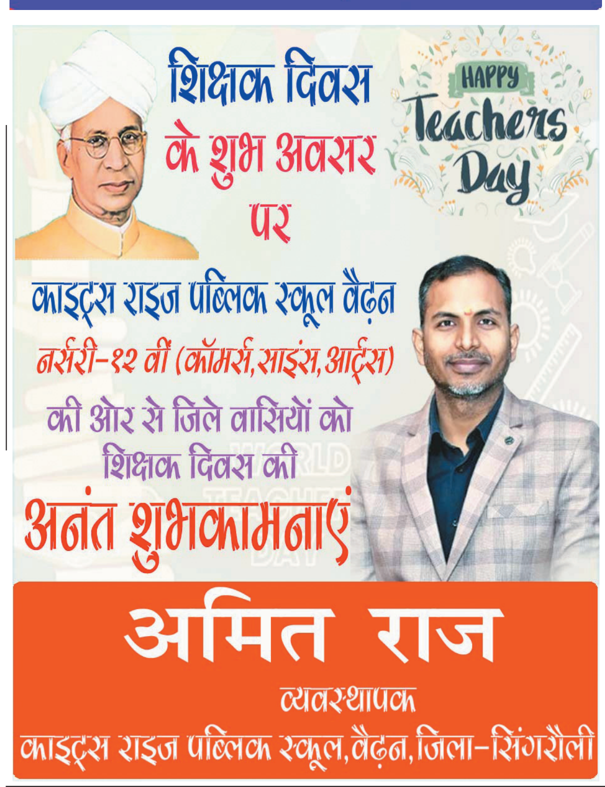

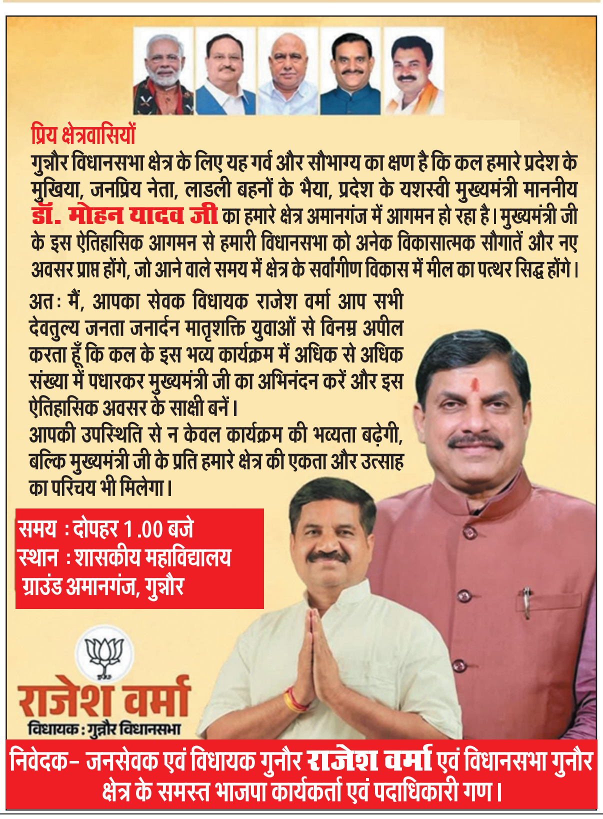

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा मौजा कोलगवां, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99